**AD EDUXIAN JOURNAL**
*(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)*
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 : राष्ट्र निर्माण की ओर

**डॉ कृष्ण चंद्र चौधरी* और गोविन्द कुमार****

**सार**

शिक्षा समाज एवं राष्ट्र को विकसित करने तथा प्रगतिशील बनाने का आधार है। मानवीय क्षमताओं का मूलभूत विकास शिक्षा से ही होता है । इसके द्वारा सम्पूर्ण जीवन के विकास की नींव रखी जाती है, जो खुशहाल समाज का भविष्य तैयार करती है। समाज में समयानुसार परिवर्तन होना एवं उसे स्वीकार करने का ज़ज्बा शिक्षा द्वारा ही पैदा होता है। इसी प्रकार, वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है। इसी परिवर्तनकारी एवं सुधारवादी दृष्टि का मूर्त रूप 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020' में समाहित है। हमारे राष्ट्र के लिए इस नीति का लागू होना बड़ा ही गर्व और हर्षोल्लास का विषय है। शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 (यथा संशोधन 1992) के बाद आज़ाद भारत की यह तृतीय नीति 2020 है जो कि 34 वर्षों के एक लंबे अरसे के पश्चात् देश की शैक्षिक संरचना एवं प्रणाली को राह प्रदान कर रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 'सतत विकास एजेंडा 2030' के लक्ष्य 4 में वैश्विक स्तर पर 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने' की बात कही गई है। यानी समान एवं समावेशी शिक्षा के लिए सामाजिकार्थिक रूप से वंचित व हाशिए पर रह रहे समूहों, बालिकाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों पर जोर दिया जा रहा है। इन्हीं लक्ष्यों के दृष्टिगत इस नीति के तहत 'सबके लिए शिक्षा' की आसान पहुंच, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही के आधारभूत स्तंभ सुनिश्चित किए जा रहे हैं और वैश्विक दृष्टिकोण का समावेशन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है । इस नीति में विद्यालयी शिक्षा स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक कई अहम बदलाव हो रहें हैं, जिसमें कि मानवीय विकास (प्रगति), ज्ञान प्राप्ति, गहन सोच, बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक लब्धि, सामाजिक लब्धि, भावनात्मक बोध, रचनात्मकता, संचार, उत्सुकता, संवेदनशीलता, मानव मूल्य, जीवन शिक्षा, सार्वभौमिक रूप से सीखना, जीवन पर्यंत शिक्षा और जिज्ञासा की भावना आदि के विकास पर अधिक ज़ोर है । इसके स्वरुप का मसौदा डॉ कस्तूरीरंगन के अगुवाई में तैयार किया गया है । यह नीति पिछले 3 दशकों से अधिक समय में हमारे देश, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े

पैमाने पर हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ प्रतिस्थापित हो रही है। शिक्षा का एक उद्देश्य आत्मज्ञान है। दूसरा उद्देश्य मानव के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, तीसरा उद्देश्य नागरिक के उत्तरदायित्वों को समझना और चौथा उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना है। इस प्रकार, व्यक्ति अपनी योग्यता को समझ कर तथा उसका सफल उपयोग करके शैक्षिक विकास करता है। अत: 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तथा देश की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के हर क्षेत्र में सुधार लाने की अपेक्षा है। इसलिए इस शिक्षा नीति में समतामूलक समाज, गुणात्मक, वहनीय, समान, समावेशी शिक्षा, उत्तरदायित्व के साथ शिक्षा, शैक्षिक ढांचा (5+3+3+4) की अवधारणा, भाषाई विविधता (त्रि-भाषा सूत्र) को बढ़ावा और भाषा के संरक्षण देने जैसे विषयों पर विशिष्ट रूप से ध्यान दिया गया है। इस नीति में पठन-पाठन की शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता, तार्किक निर्णय, सामाजिक एवं भावात्मक कौशल विकास, अनुकूल सोच, सृजनात्मक चिंतन एवं नवाचारी क्षमता को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा सके । बहु-विषयक व भविष्यवादी शिक्षा, गुणवत्तापरक शोध (अनुसंधान) और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समान उपयोग किया जा रहा है। सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक विद्यार्थी में निहित क्षमताओं को निखारना, सभी स्तरों पर सबकी समरूप पहुँच सुनिश्चित करना, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय (लोकल) स्तर से वैश्विक (ग्लोबल) स्तर पर पहुँचाना आदि इसके प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित है । अतः ये नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली नीति सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। अब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था 'क्या' सोचने पर आधारित थी, जबकि इस व्यवस्था (नीति) में 'कैसे' वाले सोच-विचार पर विशेष जोर दिया गया है।

**भविष्य की रूपरेखा**

इस नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारें देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में विनिवेश करेंगी। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा में भी सुधार हेतु काफी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है। साथ ही, विद्यालयों की आधारभूत संरचना में बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक परिवेश अच्छा होता है तो पढ़ने लिखने में भी मन लगता है।

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। इस नाम के बदलाव की मुख्य वजह 'शिक्षा की तरफ जनमानस का अधिक ध्यान खींचना' और विशेष रूप से मंत्रालय कार्यान्वयन की समय सीमा (मिशन मोड) में जन-कल्याण के लिए कार्य कर सके, ताकि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचना सुनिश्चित होने के साथ सुगम एवं सरल हो सके।

किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अन्य संसाधनों के समान ही उसके मानव संसाधन भी शिक्षित हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के उपरांत देश की संस्कृति और आवश्यकता के अनुरूप इस नीति की ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई । इस नीति में जहाँ एक तरफ भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति-परम्परा, तर्क-शक्ति, डिजिटल साक्षरता, भारतवर्ष का ज्ञान, भावनात्मक बुद्धि का विकास, सामियकी एवं मनोसामाजिक सोच आदि का विकास करना समाहित है वहीं दूसरी तरफ इन सभी के सृजन, उपयोग, संचरण और प्रसार की परिकल्पना भी यह नीति करती है । अत: यह शिक्षा व्यवस्था नए भारत के संविधान में मील का पत्थर साबित होगी। इसके द्वारा पढ़ाई के साथ-साथ बहुमुखी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा तथा राष्ट्र निर्माण का सपना भी पूरा होगा । शिक्षा की गुणवत्ता, नवोन्मेष और शोध (खोज) को बढ़ावा देने के लिए यह नीति उपयोगी सिद्ध हो रही है। हर कक्षा में जीवन-कौशल के विकास पर जोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा पास करके निकले तो उसके हाथ में एक पूरी निवेश सूची हो।

इस नीति का मकसद 21वीं सदी के आशानुरूप विद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक समावेशी, समग्र, लचीला बनाते हुए भारतवर्ष को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान आधारित वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है । जिससे छात्र अपने वैश्विक स्तर के दायित्वों को समझ सकें। आज के ज्ञानोन्मुख समाज में सम्पूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए, इसको कार्यान्वित करने और शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 35 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं। पूरे देश के 15 लाख से ज्यादा विद्यालय, 41 हजार से ज्यादा महाविद्यालय और 1000 से ज्यादा विश्विद्यालयों में इस शिक्षा नीति

के सांचे से परिवर्तनकारी सुधार और दूरगामी प्रभाव से ही शिक्षा के नए स्वरूप का उदय हो रहा है ।

**10+2 की जगह  शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की अवधारणा होगी लागू**

बुनियादी/मूलभूत चरण के 5 वर्ष- बाल्यावस्था मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चे के सम्पूर्ण जीवन के विकास की नींव रखी जाती है। नैसर्गिक रूप से बच्चा जन्म से ही सीखने के लिए तैयार होता है । इसमें विद्‌यालयी शिक्षा के प्रथम 5 साल शामिल हैं, जिसमें शालापूर्व शिक्षा के तीन साल एवं कक्षा एक और कक्षा दो समग्र रूप से शामिल हैं। पहले जहाँ सरकारी विद्‌यालय कक्षा एक से शुरू होते थे, वहीं अब वह शालापूर्व शिक्षा से शुरू होंगे।इस शिक्षा (प्री-स्कूल) के पहले दो साल बच्चा किसी आँगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त कर सकता है । बच्चे के जीवन के प्रथम 6 वर्ष उसके संपूर्ण विकास का मूलाधार होते हैं, जिसमें मस्तिष्क का विकास जन्म से पाँच साल के उम्र के बीच सबसे तेज गति से होता है। 3 से 8 साल की उम्र के लिए, आधारीय चरण का सुझाव दिया गया है, जिसमें आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) को और अधिक मजबूत आधार माना गया है। बहु-स्तरीय खेल एवं खोजिए गतिविधि आधारित सीखने हेतु तीन से छः वर्ष आयु वय के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी (बाल बाटिका) या शालापूर्व शिक्षा के माध्यम से मुफ़्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी । देश में 3-6 साल के 10 करोड़ बच्चे हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों के अलावा कक्षा 1 और 2 का तात्पर्य 6 से 8 आयु वर्ग के विद्‌यार्थियों से है। इस प्रकार पूर्व प्राथमिक के तीन साल और कक्षा 1 और 2 के दो साल, इसे पाँच साल तक की शिक्षा के तहत माना जाएगा। खेल-कूद और क्रियाकलाप केंद्रित पाठ्यक्रम के द्‌वारा भाषा कौशल और शिक्षण-अधिगम के विकास पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा।

इन कक्षाओं में अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, समस्या सुलझाने की कला, पहेलियाँ और तार्किक सोच, कला (नृत्य-संगीत, ड्राइंग-पेंटिंग आदि), चित्रकला, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य कार्य, जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपसी सहयोग और समूह में कार्य करने आदि को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अत: 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों (नींव अवस्था) द्‌वारा सीखने के लिए प्रेरक कौशल,

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, कला, शिल्प, योग, खेल, भारत का ज्ञान के साथ ही समन्वित और टीम आदि गतिविधियाँ से समग्र विकास की कल्पना साकार की जा रही है।

बच्चों में मूल्यों को आत्मसात कराकर ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में बदला जाएगा। स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को नैतिक मूल्य जैसे सत्यता, अहिंसा, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत, संगठनात्मक, राष्ट्रीय अखंडता और मानवीय मूल्य जैसे साथी-भावना, सहानुभूति, आपसी सम्मान, संवैधानिक मूल्य जैसे राष्ट्र व राज्य के प्रति मौलिक कर्तव्य, कानून का शासन, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, बंधुत्व आदि की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाएगा।

बच्चों का शारीरिक-संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास करना होगा। साथ ही, संवाद के लिए मातृभाषा या परिवेशीय भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना भी ईसीसीई का उद्देश्य होगा।

देश की सभी राज्य सरकारों के द्वारा सत्र 2025-26 तक प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन- Foundational Literacy & Numeracy) प्राप्त करने हेतु ईसीसीई प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जा रही है। इस प्रणाली के परिणिति के रूप में 'निपुण भारत' मिशन  शुरू हो चुका है।

प्रारंभिक चरण के 3 वर्ष- इस चरण में 8 से 11 साल की उम्र या कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था है। इसमें खेल केन्द्रित, अनुसंधान (खोज) और गतिविधि आधारित और परस्पर संवादात्मक सीखने पर ज़ोर रहेगा। इस चरण में बच्चे के मानसिक स्तरानुसार,भाषा एवं संख्यात्मक कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कक्षा 5 तक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा ही में शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी विद्यार्थियों को तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी और इन भाषाओं को तय करने का कार्य राज्य सरकार का होगा । इस दौरान, बच्चे अक्षर बोध (ककहरा का ज्ञान), अंक (संख्या-ज्ञान), रंग की अवधारणा, आकृतियां सीखेगा, पहेलियां हल करेगा, नाटक, कठपुतली के खेल, संगीत अन्य हरकत से आनंददायी और रुचिकर सीखेगा जिससे सीखने की नींव तैयार होगी और शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित हो पाएगा।

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

मध्य चरण के 3 वर्ष- यह चरण कक्षा छः से आठ तक के छात्र-छात्राओं के लिए है। इस संरचना में विषय-विशेषज्ञों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं को समझाया जाएगा। यह कार्य विज्ञान, गणित, कोडिंग, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएँ (भारतीय एवं विदेशी) आदि विषयों के शिक्षण से पूरा किया जाएगा। इस हेतु, एक से अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए वर्तमान समय में संचालित व्यवस्था एवं शिक्षा-शास्त्र में बदलाव लाया जा रहा है। इस चरण में विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा, नकि रट्टा लगाने पर। संगीत, कला एवं खेल विषय समान स्तर के होंगे। विद्यार्थियों में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला-कौशल व दस्तकारी और रोजगारोन्मुख शिक्षा का भी विकास किया जाएगा, यानी शिक्षा को भविष्योन्मुखी और कौशल उन्मुख बनाने के लिए रोजगार एवं उद्यमशीलता का कौशल विकसित करने पर ख़ास बल दिया जाएगा। इसके साथ ही, कक्षा 6-8 (मध्य चरण) में बच्चों को कृषि और स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य व्यवसायों के लिए 'एक्सपोजर' देना भी इस नीति का अंग है। अत: 2025 तक, स्कूल, प्रशिक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कम-से-कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का परिचय एवं ज्ञान कराया जाएगा।

माध्यमिक चरण के 4 वर्ष- इसमें कक्षा 9 से 12 या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्मिलित रहेगी। इस स्तर पर सुझाए गए परिवर्तनों में एक बहु-विषयक अध्ययन शामिल है जहाँ महत्वपूर्ण सोच-समझ और लचीलेपन पर ध्यान दिया जाएगा। जिससे छात्र उपलब्ध संरचना में से अपनी पसंद के अनुसार किसी भी विषय को चुन सके। चाहें वह तकनीकी के साथ कला, वाणिज्य के साथ विज्ञान या किसी अन्य वर्ग के विषय ही क्यों न हों। इस चरण में आलोचनात्मक सोच व अधिक समग्रता के साथ पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षा पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक संरचना के सभी स्तरों पर शिक्षण-अधिगम को संवादात्मक बनाया जाएगा। कक्षाओं में रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक, खोजपूर्ण गतिविधियों एवं आनुभविक सीखने को बढ़ावा दिया जाएगा। अब शिक्षकों की भूमिका बच्चों को 'कैसे सीखें' सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके जीवन में शिक्षा के महत्व को समझने में मदद करना, स्कूलों में बच्चों के सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक-भावनात्मक कल्याण की देखभाल करके समग्र रूप से विकसित करने में सहायता करने जैसी होगी। अत: वर्ष 2030 तक 'प्री-प्राइमरी स्कूल से

ग्रेड-12' तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के अंतर्गत शत-प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

**नवीन शिक्षा नीति में छात्र-छात्राओं के लिए सुनहरे भविष्य की परिकल्पना**

इस शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी को मिल-जुल कर काम करना होगा। ऐसा करने से ही हमारा देश विश्व के अग्रणी और विकसित देशों के समान ही प्रगति कर पाएगा। इसके साथ ही, विद्यार्थियों की रुचि, ज्ञान, कौशल, अनुभव, विशिष्टता के प्रति विद्यालय से लेकर समुदाय तक सभी को संवेदनशील बनाया जाएगा। इस नीति में विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य हेतु कम से कम 14 गुणों को विकसित करने की परिकल्पना पेश की गई है, यथा- बुद्धिलब्धि, संवेगात्मक-लब्धि, सामाजिक-लब्धि, भावनात्मक-बोध, रचनात्मकता, संचार, उत्सुकता, जिज्ञासा की भावना, संवेदनशीलता, मानव-मूल्य, जीवन-शिक्षा, सार्वभौमिक रूप से सीखना, समाजीकरण तथा जीवन पर्यंत शिक्षा। इन 14 गुणों से लैस बच्चे को वैश्विक नागरिक और विश्व मानव बनाने की परिकल्पना इस नीति में है। शास्त्रों में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शिशु को योग्य मानव बनाना है, दूसरा उसे उत्तम नागरिक़ तथा तीसरा परिवार का पालन-पोषण करने योग्य बनाना है । बहरहाल, अब लगता है कि हालात बदलेंगे।

**भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण**

इस नीति में शालापूर्व शिक्षा और पहली से पाँचवीं कक्षा तक के पठन-पाठन हेतु मातृभाषा या परिवेशीय भाषा को अंगीकृत करने पर ज्यादा ज़ोर दिया गया है। इसके साथ ही, कक्षा आठ (8) एवं आगे की शिक्षा के लिए भी मातृभाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। वैज्ञानिक डॉ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति में प्राथमिक स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र को अपनाने की बात की गई है। बच्चा जन्म से ही बाहरी दुनिया से मातृभाषा में संवाद करता है, इस वजह से मातृभाषा के प्रति मस्तिष्क की सक्रियता अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रूप से होती है। यही कारण है कि इस नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हर राज्य अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होगा और उस पर इस संबंध में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। स्कूल तथा और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिये संस्कृत के साथ ही अन्य प्राचीन भारतीय भाषाएँ भी वैकल्पिक रूप में उपलब्ध रहेंगी, लेकिन किसी भी भाषा को

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

विद्यार्थियों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। बधिर विद्यार्थियों के लिये केंद्र और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य-सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा का पूरे देश में मानकीकरण किया जाएगा। यानी इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा/घर/राज्य की राजभाषा एवं अंग्रेजी और मानक कक्षा 6 से ऊपर को एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाने की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। अत: इस नीति में पांचवीं कक्षा तक और यथा संभव आठवीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत कक्षा 6 से 8 के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक गतिविधि/प्रोजेक्ट में भाग लेना होगा।

इसके अतिरिक्त पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। इसमें डिजिटल रूप से सीखने के मकसद को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी मंच बनाया जा रहा है। ई-पाठ्यक्रम शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित किए जायेंगे फिर इनका दायरा बढ़ाया जाएगा, साथ ही आभासीय प्रयोगशालाएं भी तैयार की जाएंगी। आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। अभी तक अधिकतर ऑनलाइन पाठ्यक्रम अंग्रेज़ी और हिंदी में ही उपलब्ध हैं।

**त्रि-भाषाई सूत्र से भाषा-शक्ति में वृद्धि**

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व देने की बात कही गई है जो बच्चों के घर की भाषा को समझते हों। इससे बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए आधार भी मजबूत होगा। जहाँ घर और विद्यालय की भाषा अलग-अलग है, वहां दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा (कक्षा-8) के बाद विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई होगी।

यह बार-बार सिद्ध हो चुका है कि हर बच्चा सहज भाव से अपनी मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर उसे तत्काल ग्रहण करता है। बच्चों को नर्सरी से कक्षा पांचवी तक की आरंभिक शिक्षा घर की भाषा में दी जाए, जो वह अपने घर में अपने माँ-बाप, भाई-बहन, दादा-दादी और दोस्तों से बोलना पसंद करता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी देश तब ही तेजी

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

से आगे बढ़ सकता है, जब उसके नौनिहाल अपनी जुबान में ही पढ़ाई शुरू करने का सौभाग्य पाते हों।

जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने लिए खास जगह बनाने वाली अनेक हस्तियां मिल जाएंगी, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण की। इनमें गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अंबेडकर शामिल हैं। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की शुरूआती शिक्षा का प्रारंभ अपने कलकत्ता (अब कोलकाता) के घर में ही हुआ। उनके परिवार में बांग्ला भाषा ही बोली जाती थी। उन्होंने जिस विद्यालय में दाखिला लिया, वहां पर भी पढ़ाई का माध्यम बांग्ला ही था। यानी बंगाल की मातृभाषा में। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में बिहार के सीवान जिले के अपने गांव जीरादेई में ही हुई थी। बाबा साहेब की प्राथमिक शिक्षा सतारा, महाराष्ट्र के एक सामान्य विद्यालय से हुई और पढ़ाई का माध्यम मराठी भाषा था। साथ ही, जगदीश चंद्र बोस, एस एन बोस, दौलत सिंह कोठारी से लेकर अमर्त्य सेन और हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी तक बार-बार इस बात को कहते रहे हैं कि यदि देश को बदलना है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करना ही होगा । अत: बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति पर कक्षा-5 तक विशेष ज़ोर रहेगा तथा कक्षा 8 तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू/परिवेशीय भाषा होगी।

**नवीन शिक्षा नीति में भारतीय भाषाएं**

दुनिया भर के अनुभव इस बात के प्रमाण हैं कि किसी भी देश में बदलाव लाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है और प्रत्येक शिक्षा का वाहन भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है, अपने को, उस सभ्यता-संस्कृति के साथ आत्मसात करती है। एक-एक शब्द को भरने में शताब्दी लगती है जो मां की साँसों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, दादी-नानी की कहानियों में होती है; लोक-गीत, लोक-संस्कृति और लोक-व्यवहार में होती है। इसीलिए दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा को विशेष रूप में अपनी भाषा में प्रदान करने की बकालत की गई है।

नवीन नीति का सबसे मजबूत पक्ष 'शिक्षा की भाषा' भी है। सरकार के पास भाषा संबंधित शिक्षा या पढ़ने-पढ़ाने के प्रश्न पर हिंदी समेत अनेक भारतीय भाषाओं के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि एवं सोच है। क्या चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश में अपनी भाषा में नहीं पढ़ाते?

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

यह भी समझने की जरूरत है। नीति के मंशानुरूप बच्चे यदि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो आगे चलकर अन्य कोई भी विदेशी या भारतीय भाषाओं को जरूरी नहीं कि वह अंग्रेजी ही हो,को भी आत्मसात कर लेंगे और रचनात्मकता दे पाएंगे। भाषा के प्रश्न पर ही आजादी के बाद कई आयोग बने और उन सब के पीछे एक ही वैज्ञानिक सोच थी कि स्थान व प्रदेश विशेष के लोग उस भाषा में अपनी शिक्षा, न्याय और पूरी व्यवस्था को प्राप्त कर सकें। कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिश की स्तुति "उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए" प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर आज तक कार्यान्वयन नहीं हो पाया। अत: इस नीति में भारतीय भाषाओं को अपना स्थान दिया गया है, जिससे आने वाले समय में आशान्वित परिणाम प्राप्त होगें।

**विद्यालय पाठ्यक्रम एवं अध्यापन कला से जुड़े सुधार**

इस नीति में ऐसे पाठ्यक्रम और सीखने-सिखाने की प्रणाली के विकास पर बल दिया जा रहा है, िससे पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए विद्यार्थियों में 21वीं सदी हेतु ज़रूरी कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके तहत विद्यार्थियों को व्यावहारिक जानकारियों से लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा। आवश्यक ज्ञान प्राप्ति, अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। छात्र-छात्राओं को अपने पसंदीदा विषय चुनने के कई खुले विकल्प दिए जाएंगे। नीति के मंशानुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर क्रियाकलापों के मध्य बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बनाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुता को भी सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 में तैयार की जा रही है।

**'परख' एक पहल**

हमारे देश में कई तरह के बोर्ड है और सबका स्तर अलग- अलग है। इसके समाधान के लिए इस नीति में छात्र-छात्राओं के सीखने की प्रगति की बेहतर सूचना प्राप्त करने के लिए नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, इसमें विश्लेषण, परावर्ती बोध व तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता को भी जांचने का

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

पूरा प्रबंध किया जा रहा है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर विद्यालयी परीक्षाओं में भाग लेंगे और इन परीक्षाओं का संपादन उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विषय-वस्तु की गहनता को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में परिवर्तन किये जा रहे हैं। इनकी बोर्ड की परीक्षाएं तो होंगी, किन्तु इनके महत्व को अपेक्षाकृत कम कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं का संपादन साल में दो बार (छमाही एवं सालाना) वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक रूप में होगा। इससे विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षाओं का दबाव, डर एवं भय कम होगा। परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो और व्यावहारिक मॉडल तैयार हो सकें। विद्यार्थियों की रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषयों की अवधारणा एवं ज्ञान को महत्व दिया जाएगा। पाठ्यक्रम को केवल मूल अवधारणाओं तक सीमित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित यह प्रमुख बदलाव 2023-24 वाले सत्र से लागू होने की संभावना है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों, प्रगति एवं क्षमता निर्धारण के मापन हेतु मानक मापदंड निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन/आकलन केंद्र परख (PARAKH -Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development)) की स्थापना की गई है । अत: विद्यार्थियों की उपलब्धि व प्रगति के मूल्यांकन तथा उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने तथा सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम मेधा आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा ।

**शिक्षण-अधिगम प्रणाली में सुधार**

शिक्षा का प्रमुख वाहक शिक्षक होता है और शिक्षक के बिना शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को मूर्त रूप दे पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए शिक्षकों का प्रभावशाली होना बहुत ज़रूरी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी एवं पूर्णतया पारदर्शी तरीका अपनाने पर बल दिया जा रहा है। समय-समय पर शिक्षकों के कार्य-प्रदर्शन का कई स्रोतों के माध्यम से आकलन कर पदोन्नति करने की मंशा व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के निर्धारण का कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के द्वारा किया जा रहा है। परिस्थितियों एवं बदलते परिवेश के अनुरूप शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। सन 2030 तक शैक्षिक दृष्टि से मजबूत, बहुविषयक व एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षक बनने के

लिए '4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री' का होना आवश्यक होगा। शिक्षकों हेतु पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 तक तथा फिर हर 10 साल बाद इनकी समीक्षा करने की बात नवीन नीति में कही गई है। विशेष (दिव्यांग) विद्यार्थियों को सम्मानजनक जीवन-यापन व शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष शिक्षकों एवं सामान्य शिक्षकों के लिए सेवापूर्व एवं सेवाकालीन मोड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा बहुविषयक शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। अंत में, यह नीति शिक्षकों का गौरव बढ़ाने, समाज में उनके सार्थक योगदान के लिए, शिक्षकों की पहचान व शिक्षकों का समर्थन करने, स्कूल-समुदाय संबंधों को मजबूत करने, स्कूल-पूर्व छात्र सहायता प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, शिक्षकों के बीच नैतिक और पेशेवर मानकों में सुधार करने, निरंतर सेवाकालीन शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार आदि करने हेतु प्रतिबद्ध है।

**निष्कर्ष**

हर बच्चा अद्वितीय है और राष्ट्र की संपत्ति एवं धरोहर है। लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राष्ट्र-निर्माण और उसकी उन्नति के कर्णधार बच्चे ही हैं, जो कुछ वर्षों बाद राष्ट्र के होनहार युवा होंगे । भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश में बच्चे जिन-जिन परस्थितियों में रहते हैं या गुज़र-बसर कर रहे हैं उसमें विविधता है। शिक्षा नीति में प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि पर ध्यान देने की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर है। अब विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बच्चों के लिए विद्यालय जाना अब मनोरंजन के साथ-साथ 'खेलो-कूदो-पढ़ो' पर आधारित होगा। इस नीति में 21वीं सदी और गुणवत्ता से समझौता किए बिना व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है। ये सभी 21वीं सदी के सर्वांगीण दृष्टिकोण एवं समग्र कौशल का हिस्सा है, क्योंकि शिक्षा नौजवानों में इस तरह की चीजों को समाहित करती हैं । इनसे ही बच्चे 21वीं सदी के लिए जरूरी कौशल विकास, बौद्धिक विकास, संचार, जिज्ञासा, खोज, रचनात्मकता, समस्या समाधान, विचारों की विविधता, वैचारिक गतिविधि, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तार्किक सोच और तर्कशक्ति विकसित करना आदि में योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं शताब्दी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम को इसके अनुरूप बनाया जाएगा। शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की संरचना का रूपरेखा, छठी कक्षा से व्यावहारिक

AD EDUXIAN JOURNAL
(A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed International Journal)
www.educarepublication.com
ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024

प्रशिक्षण, रोजगारपरक शिक्षा, त्रि-भाषाई सूत्र, विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापन कला और मूल्यांकन में सुधार आदि का दूरगामी प्रभाव होगा । ऐसी शिक्षा बच्चों, किशोरों एवं युवा छात्र-छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी । यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र को दिशा देगी और वर्ष 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली के व्यापक बदलाव के लक्ष्य को सार्थक करेगी। अत: 21वीं सदी में, इस नीति का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाना है, क्योकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफी विविधता है। फलत: इसका लक्ष्य शिक्षा-तंत्र के गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना है और शैक्षणिक व्यवस्था का प्रबंधन करना है।

**संदर्भ सूची**


- आईसीडीएस मिशन (2013); महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- चौधरी, कृष्ण चंद्र (2018); "प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, विकास और शिक्षा", बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- चौधरी, कृष्ण चंद्र (2019); "आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उभरती चुनौतियाँ और संभावनाएं", अप्रैल 2019, प्राथमिक शिक्षक, एनसीईआरटी, दिल्ली ।
- चौधरी, कृष्ण चंद्र (2020) "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साँचे से होगा परिवर्तनकारी सुधार और दूरगामी प्रभाव", प्राथमिक शिक्षक, एनसीईआरटी, एन। दिल्ली। (अंक - 4, पृष्ठ 17-25, अक्टूबर 2020)।
- यादव, पद्मा (2020) "प्राथमिक शिक्षा का बदलता स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020", प्राथमिक शिक्षक, एनसीईआरटी, एन। दिल्ली। (अंक - 4, पृष्ठ 26-35, अक्टूबर 2020)।
- शर्मा, प्रेमपाल (2021) " शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं", योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार; दिल्ली, फरवरी 2022, पृष्ठ 53-55.
- नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशनः टुवर्डस् प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड ह्यूमन टीचर-2009; दिल्ली- नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (2009)।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005; नयी दिल्ली, एनसीईआरटी ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020; मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार।

Websites Links

ISSN: 3048-7951
Volume-1, Issue-2, August-October 2024


- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642061(Accessed25.8.2022)
- https://www.mhrd.gov.in/nep-new(Accessed26.82.022)
- https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/English1.pdf(Accessed31.8.2022)